खंड 1 संख्या 124

राष्ट्र महिला

नवम्बर 2009 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

टेलीविज़न में महिलाओं के अशोभनीय चित्रण से चिंतित, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'महिलाओं तथा बच्चों का अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम, 2008' का एक नया मसौदा तैयार किया है जिसमें इस अधिनियम में संशोधनों का सुझाव दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पुरुषों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापनों में महिलाओं को नकारात्मक भूमिका में अथवा बहुत अल्प वस्त्रों में प्रस्तुत करना गलत है और यह आवश्यक है कि इन विज्ञापनों का प्रसारण किए जाने से पूर्व सरकार से उनकी स्वीकृति ली जाये क्योंकि विद्यमान अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट तथा मोबाइल फोनों के संबंध में पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार अधिनियम का दायरा बढ़ाकर विज्ञापन की परिभाषा में अब लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य मीडिया द्वारा प्रकाशित दृष्टिगोचर विज्ञापनों के अतिरिक्त कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर अथवा अन्य दस्तावेज़ भी आयेंगे।

यह देखने में आया है कि कुछ समय से विज्ञापनदाता अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के प्रयोजन से महिलाओं को पात्र बनाते हैं। उदाहरणार्थ, पुरुषों के इत्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए गये विज्ञापनों में महिलाओं को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु फिर भी इनमें महिलाओं के सुव्यक्त चित्र दिखाए जाते हैं।

इसलिए, इस अधिनियम के प्रयोजन का उल्लंघन करने वालों को कठोर दण्ड दिए जाने तथा टेलीविजन चैनलों पर भी इसे लागू करने के लिए आयोग ने इसमें उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दिया है।

आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि अधिनियम में इस समय जो 2000 रुपये का जुर्माना है उसे बढ़ा दिया जाये जोकि प्रावधान का बार-बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जा सकता है।

चर्चा में — महिलाओं एवं बच्चों का अशोभनीय चित्रण निषेध विधेयक

दूसरी बार अथवा उसके बाद की दोष-सिद्धि के लिए आयोग ने न्यूनतम छः मास के कारावास की सिफारिश की है जो पांच वर्ष तक जा सकता है और न्यूनतम 50,000 रुपये के जुर्माने की जो 5 लाख रुपये तक जा सकता है।

इस संदर्भ में आयोग ने यह भी प्रस्तावित किया है कि केन्द्र सरकार एक प्राधिकार स्थापित करे जो यह तय तथा विनियमित करेगा कि किसी प्रकाशित दस्तावेज में अथवा प्रसारण में महिलाओं का किस प्रकार चित्रण किया गया है। इस प्राधिकार की अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई सदस्य होंगी और इसमें भारतीय विज्ञापन स्तर परिषद्, भारतीय प्रेस काउंसिल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे तथा महिलाओं संबंधित मुद्दों के कार्यकरण का अनुभव रखने वाला एक अन्य सदस्य होगा।

ये प्रस्ताव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेज दिए गये हैं। इनका इसलिए महत्व है कि आयोग को अशोभनीय विज्ञापनों के बारे में बराबर शिकायतें मिल रही हैं। अब यह केन्द्र सरकार पर निर्भर है कि इस संबंध में वह क्या विशिष्ट कार्यवाही करती है।

नौसेना में पहली बार महिला लड़ाकू उड़ान भरेंगी

सशस्त्र सेनाओं में लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं की नियुक्ति पर उठे विवाद को समाप्त करते हुए, नौसेना एक इतिहास रचेगी। नौसेना ने निर्णय लिया है कि वह समुद्री गश्त विमानों के अपने बेड़े में दो महिला पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त करेगी।

पासिंग आउट परेड समारोह में सब-लेफ्टिनेंट अंबिका हुड्स तथा सीमा रानी शर्मा, दोनों 22 वर्षीय, को 'विंग्स' सम्मान प्रदान किया गया। ये दोनों नौसेना की विमान शाखा की व्यूह-कौशल विशेषज्ञ बनेंगी। शॉर्ट सर्विस कमीशंड ऑफिसर्स के रूप में पर्यवेक्षक केडर में महिलाओं की नियुक्ति करके नौसेना ने देश की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को समान अधिकार देने में पहल की है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन

लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन पर नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया।

अपने स्वागत भाषण में, लॉयर्स कलेक्टिव की सुश्री इन्दिरा जयसिंह ने कहा कि 2005 से पूर्व विशिष्ट रूप से घरेलू हिंसा से निबटने के बारे में कोई कानून नहीं था और इसलिए इस प्रकार के कानून की अत्यावश्यकता थी। संशोधित घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाओं को उसी घर में निवास देने की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए न्यायालय जाना

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में डॉ. गिरिजा व्यास, श्री वीरप्पा मोयली, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्रीमती प्रतिभा पाटिल 'स्टेइंग एलाइव' नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए। साथ में सुश्री एनी स्टीनहेमर, सुश्री इन्दिरा जयसिंह, डॉ. गिरिजा व्यास, श्री वीरप्पा मोयली, श्रीमती कृष्णा तीरथ

अधिक सुविधाजनक बना दिया गया है तथा राज्य सरकारों पर संरक्षा अधिकारियों, सेवा प्रदायकों, आश्रय गृहों, चिकित्सा सुविधाओं, मंत्रणादाताओं आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी डाली गयी है।

प्रमुख भाषण देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि जन्म से मरण तक महिलाओं को भावात्मक, भौतिक तथा मानसिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में घरेलू हिंसा के सबसे अधिक 3,892 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। दिल्ली 3,463 मामलों सहित दूसरे नम्बर पर था जबकि 3,190 मामलों के साथ केरल तसरे नम्बर पर।

अधिनियम में उपबंधित संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति पर बोलते हुए डॉ. व्यास ने कहा कि अधिकतर राज्यों ने इस मामले में सुस्ती दिखाई है। वास्तव में, अधिनियम पारित होने के तीन वर्ष बाद जाकर राज्यों ने संरक्षा अधिकारी नियुक्त किए। इस समय, महाराष्ट्र में सबसे अधिक अधिकारी हैं जिसके बाद राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश का नम्बर आता है।

अपने भाषण में विधि मंत्री श्री वीरप्पा मोयली ने विश्वास दिलाया कि राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से आने वाले सभी प्रस्तावों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जायेगा और भारत के सभी न्यायालयों में महिलाओं एवं बच्चों के मामलों को वरीयता दी जायेगी।

यह स्वीकार करते हुए कि भारत में महिला-पुरुष समानता अब भी एक सुदूर का सपना है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानूनों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा परिवार की सुरक्षा आश्वस्त करने की दिशा में घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने ज़ोर देकर कहा कि अधिनियम का प्रभावशील क्रियान्वयन समय की पुकार है और इसकी प्रभावता का उपयुक्त मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला दे हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कानूनों को बनाए जाने के साथ महिलाओं को शिक्षित किया जाना उनके सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है क्योंकि महिलाओं की शिक्षा का संरक्षात्मक प्रभाव होता है और हिंसा में कमी आती है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धाराओं 125 तथा 126 में प्रस्तावित संशोधन

नेशनल लॉ स्कूल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 125 तथा 126 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सेमिनार आयोजित किया।

उद्घाटन भाषण देते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल श्री एच.आर. भारद्वाज ने कहा कि भरण-पोषण पाने की प्रक्रिया लम्बी और विलम्बकारी है। यह देखते हुए कि अधिनियम का उद्देश्य निराश्रयता को रोकना है, इस प्रकार के विलम्ब से कानून का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। श्री भारद्वाज ने यह भी कहा कि भरण-पोषण के मुद्दों को संवेष्टित करने वाला एक व्यापक कानून होना चाहिए

श्री एच.आर. भारद्वाज दीप प्रज्वलित करते हुए। साथ में प्रो. आर. वेंकट राव, न्यायमूर्ति मलीमठ, प्रो. माधव मेनन, न्यायमूर्ति संतोष हेगडे

उद्घाटन सत्र में न्यायमूर्ति संतोष हेगडे, प्रो. आर. वेंकट राव, श्री एच.आर. भारद्वाज, न्यायमूर्ति मलीमठ, प्रो. माधव मेनन

और यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि विवाह-पश्चात् पत्नी को पति की जायदाद में 50% भाग का हक हो।

अपने प्रमुख भाषण में, न्यायमूर्ति वी. एस. मलीमठ ने सुझाव दिया कि भरण-पोषण दिए जाने में चूक होने पर 18 से 20% या इससे भी अधिक ब्याज दोषी व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परस्त्रीगमन की सफाईपेशी समाप्त कर देनी चाहिए तथा परिसम्पत्ति साबित करने की जिम्मेवारी प्रतिवादी पर होनी चाहिए, भरण-पोषण मांगने वाले पर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मामलों के निबटान की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति संतोष हेगडे, प्रो. एन.आर. माधव मेनन, जस्टिस गीता मित्तल, प्रो. बलराज चौहान ने भी इस सत्र में भाषण दिए। दूसरे सत्र की अध्यक्षता प्रो. माधव मेनन ने की जिसमें कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 126 पर चर्चा हुई।

अपने समापन भाषण में न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू ने सुझाव दिया कि न्यायालयों को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर भरण-पोषण निर्धारित करने का स्वाधिकार दिया जाना चाहिए। उनका मत था कि परस्त्रीगमन की सफाईपेशी समाप्त नहीं की जानी चाहिए जिससे कि दुरुपयोग की गुंजाइश न रहे।

सेमिनार से निकली कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

भरण-पोषण का दायरा बढ़ा कर इसमें गोद लिए गये बच्चों, सौतेले बच्चों, सौतेले माता-पिताओं तथा दादा-दादियों को भी शामिल किया जाये। आपराधिक प्रक्रिया संहिता से शब्द 'पर्याप्त' को हटाया जाये क्योंकि अपनी आय-स्रोतों के बावजूद पत्नी, बच्चों तथा माता-पिता के पोषण की जिम्मेवारी पुरुष की है। अन्य स्थान पर रह रहे माता-पिता तथा बच्चे भी भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। भरण-पोषण की राशि पहले ही जमा करा लेनी चाहिए जिससे दावेदार को त्वरित भरण-पोषण मिल सकेगा और समयावधि की पाबंदी लगेगी। भरण-पोषण का क्षेत्राधिकार जो इस समय प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास है, ग्राम न्यायालयों को दिया जाना चाहिए।

● पत्नी की अस्वाभाविक मृत्यु का कारण पति स्पष्ट करे : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पत्नी की ससुराल में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मृत्यु का स्पष्टीकरण देने की असफलता पुरुष की सज़ा का कारण बन सकती है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल तथा अजीत भरीओके की एक खंडपीठ ने कहा कि "ऐसे स्थान पर पत्नी की अस्वाभाविक मृत्यु होना जहां कि बाहर के लोगों की पहुंच नहीं है, पति के लिये यह आवश्यक बना देता है कि अपनी पत्नी की अस्वाभाविक मृत्यु का कारण स्पष्ट करे। ऐसा करने में असफल होने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत सज़ा का भागी हो सकता है।"

● तलाक के मामले में डी.एन.ए. परीक्षण आवश्यक नहीं : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि तलाक के मामले में किसी बच्चे का पितृत्व मालूम करने के लिए उसका डी.एन.ए. परीक्षण कराना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप न लगाये। खंडपीठ ने कहा कि इस प्रकार का परीक्षण अनधिकृत तरीके से नहीं कराया जा सकता।

● महिलाओं का मुआवज़ा पुरुषों से कम नहीं हो सकता : न्यायालय

दिल्ली के एक न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में दी जाने वाली मुआवज़े की राशि पीड़ित के लिंग पर निर्भर नहीं हो सकती। परिवार में महिला का योगदान पुरुष के बराबर है।

न्यायालय ने कहा : "अपने परिवार के लिए अर्जन करने वाला व्यक्ति - चाहे वह पुरुष हो या महिला - यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो जीवन का मूल्य और परिवार के प्रति योगदान बराबर माना जाना चाहिए।" न्यायालय ने बीमा कम्पनी का यह तर्क ठुकरा दिया कि परिवार महिला पर इतना निर्भर नहीं हैं जितना कि पुरुष पर जोकि अच्छी आय अर्जन कर रहा है।

● बलात्कारी पीड़िता की छवि को नहीं बिगाड़ सकता : नगर न्यायालय

एक नगर न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ने कहा है कि किसी आरोपी को यह इज़ाजत नहीं दी जा सकती कि वह यह दावा करके अपनी पैरवी करे कि लड़की खराब नैतिक चरित्र की है।

"महज यह बात कि उस लड़की का घर टूट गया था और वह कोई काम पाने के लिए भटक रही थी किसी को यह कहने की छूट नहीं देती कि वह एक चरित्रहीन लड़की है और उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करे।"

● दहेज कानून सहवास-रिश्तों पर भी लागू होते हैं

दिल्ली के एक मुकदमा न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कि सहवास-रिश्ते में रह रही महिला से पुरुष द्वारा पैसे की मांग किया जाना दहेज उत्पीड़न की तरह है, एक पुरुष को आजीवन कारावास का दंड दिया। न्यायालय ने उस महिला का मरण-कथन स्वीकार किया और कहा कि जिस पुरुष के साथ वह रह रही थी उसने जब महिला से पैसा मांगा और महिला ने इनकार कर दिया तो उसने महिला को जला दिया।

● दूसरी पत्नी को भी नियुक्ति मिलनी चाहिए : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिससे किसी पुरुष की दूसरी पत्नी भी लाभान्वित हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि यदि पहली पत्नी को कोई आपत्ति न हो तो पति की मृत्यु पर दूसरी पत्नी भी अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी की हकदार होनी चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, विवाह-काल के दौरान एक पुरुष केवल एक पत्नी रख सकता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उसे दूसरा विवाह करने पर 7 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। किन्तु यदि दोनों पत्नियां सहमत हों तो, किसी को इस पर विरोध नहीं हो सकता।

भारत में नवजात शिशु-मृत्यु दर सबसे अधिक

एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा 14 देशों में किए गये सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि विश्व में होने वाली नवजात शिशुओं की मृत्यु दर भारत में सबसे अधिक है। यह और भी बदतर बात है कि पेरू, बांग्लादेश और नेपाल जैसे अधिक गरीब देशों का रिकार्ड नवजात मृत्यु दर के मामले में भारत से कहीं बेहतर है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले नवजात शिशुओं में से लगभग चार लाख शिशु 24 घंटे के अन्दर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं - जो विश्व में सबसे अधिक दर है। भारत में पांच वर्ष की कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी सबसे अधिक है, अर्थात् पांचवीं वर्षगांठ तक पहुंचते-पहुंचते 20 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु - प्रति 15 सेकेंड में एक मृत्यु। इस गैर सरकारी संगठन का कहना है कि इनमें से लगभग 90% मृत्युएं रोकी जा सकती हैं।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।